



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-19032020-218798
CG-DL-W-19032020-218798

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 04] नई दिल्ली, मार्च 8—मार्च 14, 2020, शनिवार/ फाल्गुन 18—फाल्गुन 24, 1941
No. 04] NEW DELHI, MARCH 8—MARCH 14, 2020, SATURDAY/PHALGUNA 18—PHALGUNA 24, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

j{k e=ky ;

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2020

dk-fu-vk- 6-& राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सेना आर्डनेंस कोर, प्रधान सिविलियन स्टाफ आफिसर (भंडार) और ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ आफिसर (भंडार) समूह “क” पद भर्ती नियम 2013, जहां तक प्रधान सिविलियन स्टाफ आफिसर के पद से संबंधित है, को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने के लिए लोप किया गया है, सेना आर्डनेंस कोर में प्रधान सिविलियन स्टाफ आफिसर (भंडार) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. If{klr uke vkj ikjHk -& (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना आर्डनेंस कोर, प्रधान सिविलियन स्टाफ आफिसर (भंडार) समूह “क” पद भर्ती नियम, 2020 है ।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. ink dh l[;k] oxhjdj.k vkj oru efVDI e: Lrj -& उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. Hkrh dh i)fr] vk;&lhek] vgrk, vkfn—भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. fujgrk—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. f'kfky dju dh 'kfDr-&जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. 0;kofrr .- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

vulph

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु—सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रधान सिविलियन स्टाफ आफिसर (भंडार), सेना आयुध आर्डनेंस कोर	03' (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (123100-215900 रु0) में स्तर—13	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

Hkrh dh i)fr] भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(10)	(11)
प्रोन्नति, जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	ikUufr] वेतन मैट्रिक्स (78800-209200 रु0) में स्तर 12 में ऐसा ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ आफिसर (भंडार) जिसने नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष नियमित सेवा की हो । fVli.k 1& जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । ifrfu;fDr : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठन,

	पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन अधिकारी – (अ) (i) मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों ; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (78800–209200 ₹0) में स्तर-12 या समतुल्य के पदों में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; (iii) सशस्त्र बल के कार्मिकों को वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12क (121200-212400 ₹0) में लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक या समकक्ष के पद से नीचे नहीं, नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई पांच वर्ष की सेवा की हो, और (ब) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामग्री प्रबंधन में व्यवसाय प्रशासन निष्णात या स्नातकोत्तर डिप्लोमा; (ii) वस्तु सूची प्रबंधन या अधिप्राप्ति प्रकार्य या परिवहन प्रबंधन में तीन वर्ष का अनुभव। ivli.k 1% प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारण्यता तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। ivli.k 2% पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
leg 'd' foHkxh; ikUufr lfevr %ikUufr d: lc/k e: fopkj dju d: fy, % fuEufyf[kr l: feydj cuxh :- 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (सेना), रक्षा मंत्रालय — सदस्य 3. महानिदेशक या अपर महानिदेशक आयुध सेवा — सदस्य	प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा.सं.—पीसी—ए/24821/आर आर—पीसीएसओ(एस)/ओ एस—8डी/98/डी (नियुक्ति)]
एस.एस.एस. शर्मा, निदेशक (स्था. एवं सी.पी.)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 5th March, 2020

S.R.O. 6 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Army Ordnance Corps, Principal Civilian Staff Officer (Stores) and Senior Civilian Staff Officer (Stores) Group 'A' posts, Recruitment Rules, 2013, in so far as they relate to the post of Principal Civilian Staff Officer (Stores), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Principal Civilian Staff Officer (Stores) in the Army Ordnance Corps, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Army Ordnance Corps, Principal Civilian Staff Officer (Stores) Group 'A' post, Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Principal Civilian Staff Officer (Stores) Army Ordnance Corps	3*(2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-ministerial	Level-13 (Rs. 123100-215900/-) in the pay matrix	Selection post

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a departmental promotion committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
By promotion: Senior Civilian Staff Officer (Stores) in level-12 (Rs. 78800 – 209200/-) in the pay matrix with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite Qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chairman or Member of Union Public Service Commission - Chairman; 2. Joint Secretary (Army), Ministry of Defence -Member; 3. Director General Ordnance Service or Additional Director General Ordnance Service -Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.

the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation - Officers under the Central Government or State Government, Union territories, Autonomous or statutory organisation, Public Sector undertakings or Recognised Research Institution - (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years of service rendered after appointment to the post on regular basis in Level-12 (Rs. 78800-209200/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre/department; or (iii) Armed Forces Personnel not below the rank of Lieutenant Colonel or equivalent in level-12A (Rs.121200-212400/-) in pay matrix with five years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. (B) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Master of Business Administration or Post Graduate Diploma in Material Management from a recognised University or Institute; (ii) three years experience in inventory management or procurement function or transportation management. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications. Note 2: The department officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for		
---	--	--

appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		
---	--	--

[F. No. PC-A/24821/RR-PCSO(S)/OS-8D/ 98/D(Appts)]
S.S.S. SARMA, Director (Estt. & CP)